(क) वर्तमान समय में विभिन्न न्यायालयों द्वारा फांसी की सजा पा चुके अपराधियों से संबंधित कितने प्रकरण महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष लंबित हैं;

(ख) क्या दया याचिकाओं को शीघ्र निपटाकर फांसी की सजा प्राप्त अपराधियों के ऊपर देश के संसाधनों के व्यय को कम किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

**(क): इस समय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत मृत्युदंड प्राप्त 26 दोषसिद्ध व्यक्तियों की 19 दया याचिकाओं के मामले लंबित हैं।**

**(ख) और (ग): संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत प्रदत्त शक्ति में ऐसी कोई समय सीमा नहीं दी गई है, जिसके अन्दर इस शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इस समय भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह महसूस किया जाता है कि न्याय के उचित प्रशासन के लिए राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति जारी रहनी चाहिए।**